

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 11.10.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::


राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 11.10.2023 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-


1. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री दिलबाग सिंह, सदस्य
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों से प्राप्त 02 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।


स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	राहुल भारद्वाज पुत्र मुकेश भारद्वाज	के.का. जयपुर	-
2.	कलुआ उर्फ धर्मवीर पुत्र विजय सिंह	वि.के.का. श्यालावास	-


सदस्य
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग,
जयपुर।


सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12)
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य सचिव
महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर।